



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई, 2017-श्रावण 6, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की बासठवीं वार्षिक साधारण बैठक गुरुवार, दिनांक 17 अगस्त, 2017 को दोपहर 4.00 बजे "वित्त भवन" मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा:-

01. 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के संबंध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार।
02. वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु सार्विधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार।
03. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

निगम की अंशबद्धी दिनांक 28 जुलाई से 17 अगस्त, 2017 तक (दिनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी।

नोट :-

- (क) बासठवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय, में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 09 अगस्त, 2017 तक पहुँच जाना चाहिए।
- (ख) प्रतिपत्र (प्रॉब्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 05 अगस्त, 2017 तक पहुँच जाना चाहिए।
- (ग) अंशधारियों की सूची एक रूपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी।

14 जुलाई, 2017

संचालक मण्डल के आज्ञानुसार

"वित्त भवन"

मुम्बई-आगरा मार्ग इन्दौर-452 001

(254-बी.)

Indore on Thursday, the 17th August, 2017 at 4.00 pm to transact the following business:-

1. To read and consider the balance sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on 31st March, 2017 (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.
2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2017-18.
3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

The Share Register of the Corporation will remain close from 28th July to 17th August, 2017.
(both days inclusive).

NOTES:-

- (a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 62nd Annual General meeting Should reach the office of the Corporation not later than four clear days i.e. 9th August, 2017.
- (b) Proxies should reach the office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting i.e. 5th August, 2017.
- (c) Lists of Shareholders are available at the office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per Copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

14th July, 2017

"Finance House"

Mumbai -Agra Road, Indore-452 001.

(254A-B.)

By order of the Board of Directors

SMITA BHARADWAJ,

Managing Director.

गोदनामा

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आलोक चतुर्वेदी तनय स्व. श्री बाबूराम चतुर्वेदी एवं धर्मपति श्रीमती ममता चतुर्वेदी पति श्री आलोक चतुर्वेदी, निवासी टौरिया हाऊस छतरपुर मध्यप्रदेश ने नितिश अरजरिया पिता स्व. श्री दिलीप अरजरिया एवं माता श्रीमती अर्चना शर्मा, निवासी रवि भोजनालय के पास, महल रोड, छतरपुर मध्यप्रदेश को भारतीय गोदनामा निबंधक अधिनियम के अनुसार उप-पंजीयक कार्यालय छतरपुर के कार्यालय में ई-पंजीकरण संख्या MP06432017A4351493 पर दिनांक 24 जून, 2017 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

गोदनामा रजिस्ट्रीकृत पश्चात् नितिश अरजरिया को, नितिश अरजरिया चतुर्वेदी पुत्र श्री आलोक चतुर्वेदी एवं माता श्रीमती ममता चतुर्वेदी, निवासी टौरिया हाऊस छतरपुर मध्यप्रदेश के नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा, सभी संबंधित शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में आलोक चतुर्वेदी एवं श्रीमती ममता चतुर्वेदी के पुत्र के रूप के नितिश चतुर्वेदी का नाम अंकित किया जावेगा।

गोदधारक-

आलोक चतुर्वेदी-ममता चतुर्वेदी,
निवासी-टौरिया हाऊस, छतरपुर,

जिला छतरपुर (म. प्र.).

(260-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम प्रमोद कुमार था, अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर प्रमोद कुमार देशमुख कर लिया है, आगे से मुझे मेरे नये नाम प्रमोद कुमार देशमुख से जाना जाये।

पुराना नाम :

(प्रमोद कुमार)

(PRAMOD KUMAR)

नया नाम :

(प्रमोद कुमार देशमुख)

(PRAMOD KUMAR DESHMUKH)

108, गिरधर परिसर दानिश कोलार रोड,

भोपाल (म. प्र.).

(256-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कमल कुमार था, जिसमें अब मैंने अपना उपनाम लगाकर कमल बलेचा कर लिया है, अब से मुझे मेरे सभी दस्तावेजों में मेरे नये नाम कमल बलेचा से लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(कमल कुमार)

(KAMALKUMAR)

(257-बी.)

नया नाम :

(कमल बलेचा)

(KAMAL VALECHA)

409, कौशल्या कॉस्मो सिटी,

गोरखपुर थाने के पास,

जबलपुर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कु. वीणा गर्दे पिता श्री स्व. रामकृष्ण महादेव गर्दे का विवाह अनिरुद्ध किरकिरे पिता श्री श्रीकांत किरकिरे, निवासी 41-ए, वैशाली नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश से हुआ। विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती अंतरा किरकिरे पति अनिरुद्ध किरकिरे हो गया है। अतः मुझे मेरे परिवर्तित नाम श्रीमती अंतरा किरकिरे पति अनिरुद्ध किरकिरे, निवासी 41-ए, वैशाली नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश से जाना-पहचाना जाए। अतः उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं तथा दोनों नामों की मैं एक ही महिला हूँ।

पुराना नाम :

(कु. वीणा गर्दे)

पिता स्व. श्री रामकृष्ण महादेव गर्दे,

(247-बी.)

नया नाम :

(अंतरा किरकिरे)

पति अनिरुद्ध किरकिरे,

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शैलेन्द्र साकेत (Shailendra Saket S/o Rampal Saket) था जो कि बदलकर (Shailendra Azad S/o Rampal Saket) हो गया है। अतः अब से मुझे मेरे नए नाम शैलेन्द्र आजाद (Shailendra Azad S/o Rampal Saket) जाना, पहचाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(शैलेन्द्र साकेत)

S/o Rampal Saket.

(248-बी.)

नया नाम :

(शैलेन्द्र आजाद)

S/o Rampal Saket.

निवासी-देवमऊ बरछा टोला,

पोस्ट-गाँजन, तहसील रामपुर-बाघेलान,

जिला सतना मध्यप्रदेश।

नाम परिवर्तन

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार सोनम मनकेले पुत्री श्री दयाराम मनकेले पति हर्षित, निवासी अशोक कॉलोनी, ग्वालियर मध्यप्रदेश है, कक्षा 05, कक्षा 08, कक्षा 10 एवं कक्षा 12वीं की अंकसूची में मेरी पक्षकारा के पिता का नाम चतुर्भुज मनकेले अंकित हो गया है तथा मेरी पक्षकारा का जन्म प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड व बी. एससी व आधार कार्ड में पिता का नाम दयाराम मनकेले अंकित है तथा कक्षा 05, कक्षा 08, कक्षा 10 एवं कक्षा 12वीं की अंकसूची में मेरी पक्षकारा के पिता का नाम चतुर्भुज मनकेले अंकित है जोकि गलत है मेरी पक्षकारा के दस्तावेजों के आधार पर सोनम मनकेले पुत्री श्री दयाराम मनकेले माना जावे तथा मेरी पक्षकारा इसी नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाती है। उक्त नाम पूर्णतः सत्य व सही हैं मेरी पक्षकारा को पिता के नाम में संशोधन कराने हेतु गजट में प्रकाशन कराना।

(234-बी.)

भवदीय,

विनोद श्रीवास्तव,

(एडवोकेट),

सेवा नगर,

ग्वालियर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शालेय दस्तावेजों में नाम “हरीशचंद्र सोलंकी” अंकित है एवं परिवार व मित्रों में “अजय सिंह सोलंकी” के नाम से पुकारा जाता है। इस कारण से मुझे “अजय सिंह सोलंकी” के नाम से भी जाना जाता है तथा अजयसिंह के नाम से कुछ दस्तावेज भी बने हुए हैं, अतः अब भविष्य में मुझे मेरे मूल नाम “हरीशचंद्र सोलंकी उर्फ अजय सिंह सोलंकी” के नाम से जाना-पहचाना जावे साथ ही समस्त व्यवहार इसी नाम से किया जावे।

पुराना नाम :

(हरीशचंद्र सोलंकी)

पिता श्री रतन सिंह सोलंकी,

(235-बी.)

नया नाम :

(हरीशचंद्र सोलंकी उर्फ अजय सिंह सोलंकी)

38/1, लोधीपुरा, इंदौर.

CHANGE OF NAME

That I was known as Arvind Kumar Kanojia I have changed my name and henceforth I shall be known as Arvind Ajay Kanojia S/o Ajay Kanojia resident of 63, Near Ayushman Hospital, Russel Chowk, Napier Town, Jabalpur (M.P.) 482001.

Old Name:

(ARVIND KUMAR KANOJIA)

(236-B.)

New Name :

(ARVIND AJAY KANOJIA)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम नरेन्द्र कुमार गुप्ता पिता स्व. श्री केदार नाथ गुप्ता, निवासी 27, फद्दीपुरा (पलिया कॉलोनी) मुरैना, जिला मुरैना (म. प्र.) था. जिसे बदलकर मैंने अपना नाम नरेन्द्र कुमार अग्रवाल रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम नरेन्द्र कुमार अग्रवाल से जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)

नया नाम :

(नरेन्द्र कुमार अग्रवाल)

ग्राम-फद्दीपुरा (पलिया कॉलोनी),
तहसील मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.).

(237-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, विवाह के पूर्व मेरा नाम “कु. अखिलेश शर्मा श्री रामविलास शर्मा”, निवासी माणिक विलास कालोनी, ग्वालियर (म. प्र.) था. मेरा विवाह दिनांक 6 दिसम्बर, 1989 को जयदीप त्रिवेदी पिता श्री शांतिलाल त्रिवेदी इन्दौर के साथ हुआ। इसके बाद मेरा नाम “श्रीमती इशिता त्रिवेदी पति श्री जयदीप त्रिवेदी” हो गया है तथा विवाह पश्चात् से ही मैं इसी नाम से जानी एवं पहचानी जा रही हूँ तथा भविष्य में भी इस नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी, अब इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(कु. अखिलेश शर्मा)

नया नाम :

(इशिता त्रिवेदी)

पुत्री श्री रामविलास शर्मा,
माणिक विलास कालोनी ग्वालियर (म. प्र.).
(239-बी.)

पति श्री जयदीप त्रिवेदी,
59, रॉयल बंगलो सिटी, सुखलिया, इन्दौर.

उप-नाम परिवर्तन

मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा नाम संतोष कुमार राव पिता श्री हनुमान प्रसाद राव, उम्र 40, निवासी ग्राम पोस्ट मानपुर, थाना-मानपुर, जिला उमरिया (म. प्र.) है।

मैं यह भी शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी सभी अंकसूचियों में मेरा नाम संतोष कुमार राव है जबकि अन्य दस्तावेजों में नाम संतोष कुमार भट्ट है। संतोष कुमार राव एवं संतोष कुमार भट्ट मेरा ही नाम है। यह कोई अलग-अलग व्यक्ति नहीं है। मुझे संतोष कुमार भट्ट के नाम से ही संबोधित किया जावे। इसके हेतु मैं शपथ-पत्र देकर निष्पादित कर रहा हूँ।

पुराना नाम :

(संतोष कुमार राव)

नया नाम :

(संतोष कुमार भट्ट)

(238-बी.)

पता-ग्राम पोस्ट मानपुर,
जिला उमरिया (म. प्र.) पिन 484665.

जाहिर सूचना

सूचित हो कि मेरा वास्तविक व सही नाम श्रीमती शकुन वर्मा पति श्री सत्यनारायण वर्मा है तथा मेरा यही नाम मेरे अधिकांश दस्तावेजों में भी दर्ज/अंकित है। मुझे मेरे विवाह उपरांत ससुराल पक्ष द्वारा प्रेमपूर्वक "छाया" के नाम से सम्बोधित करते होने से मेरा घरेलू नाम "छाया" है तथा मेरा यह नाम छाया मेरे कुछ दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है उक्तानुसार वर्णित दोनों नाम क्रमशः मेरा वास्तविक व सही नाम "श्रीमती शकुन वर्मा पति श्री सत्यनारायण" तथा मेरा घरेलू नाम "श्रीमती छाया पति श्री सत्यनारायण" यह दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम हैं।

(शकुन वर्मा)

पति श्री सत्यनारायण वर्मा,

पता-193-नई जीवन की फैल,

इन्दौर (म. प्र.).

(224-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कुमारी मनीषा जोशी पिता पुरुषोत्तम जोशी था। जो विवाह पश्चात् परिवर्तित होकर श्रीमती मनीषा मोहिते पति मनीष मोहिते हो गया है। अब भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम से ही जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(कु, मनीषा जोशी)

पिता श्री पुरुषोत्तम जोशी।

(मनीषा मोहिते)

पति मनीष मोहिते,

42/2, नंदननगर, इन्दौर-452011 (म. प्र.).

(225-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अमृत लाल मीना पिता श्री रामदयाल मीना वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात हूं मेरे सेवा अभिलेख तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम अमृत लाल मीना अंकित है। मैंने स्वेच्छा से अपना नाम केवल अमृत मीना रखा है। कृपया भविष्य में मुझे अमृत मीना के नाम से ही जाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(अमृत लाल मीना)

(अमृत मीना)

सह. पुलिस महानिरीक्षक,

पुलिस मुख्यालय भोपाल।

(249-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम बलराम जाटव पुत्र श्री हीरालाल जाटव था, अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर बलराम सिंह राणा रख लिया है। अब मुझे भविष्य में मेरे नये नाम बलराम सिंह राणा के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(बलराम जाटव)

(बलराम सिंह राणा)

ग्राम-किलोरच, तहसील व जिला श्योपur,

(म. प्र.).

(250-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, Shani (शनि) S/o Vakeel Chand Gupta age about 23 years, निवासी शंकरगढ़ थाना पदमाकर नगर, मकरोनिया, तहसील व जिला सागर मध्यप्रदेश सूचित करता हूं कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं तथा वर्तमान में भोपाल में शिक्षण कार्य पढ़ाई करता हूं।

यह कि मेरा पुराना नाम Shani S/o Vakeel Chand Gupta है जिसे बदलकर मैंने अपना नाम Sunny Gupta (सनी गुप्ता) S/o Vakeel Chand Gupta रख लिया है। मेरी जन्मतिथि 18 सितम्बर, 1993 व्यवसाय पढ़ाई (शिक्षण कार्य) करता हूं तथा शंकरगढ़ तहसील व जिला सागर में निवास करता हूं तथा एम. बी. बी. एस. का छात्र हूं जो भोपाल में अध्ययनरत हूं। इसलिए मेरे उक्त पुराने नाम में परिवर्तन कर नया नाम समस्त दस्तावेजों में अंकित किया जाए। मुझे मेरे नये नाम Sunny Gupta के नाम से ही लिखा-पढ़ा व जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(शनि गुप्ता)

नया नाम :

(सनी गुप्ता)

निवासी-शंकरगढ़ थाना पदमाकर नगर,
मकरोनिया तहसील व जिला सागर (म. प्र.).

(251-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में ऋषिकेश यादव पुत्र स्व. श्री छोटेलाल यादव था मेरे पिताजी का निधन वर्ष 2010 में हो गया था। उनकी एलआईसी की पॉलिसी जिसका नं. 200030406 है। मेरा स्कूल का नाम अनूप यादव था लेकिन एलआईसी पॉलिसी में मेरा नाम ऋषिकेश लिखा है। लेकिन मैं अब काफी समय से ऋषिकेश यादव के स्थान पर अनूप यादव लिखता आ रहा हूं मेरे स्कूल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आदि में अनूप यादव ही अंकित है। मुझे अनूप यादव के नाम से ही जाना-पहचाना जाता है। ऋषिकेश यादव और अनूप यादव एक ही व्यक्ति हैं।

पुराना नाम :

(ऋषिकेश यादव)

नया नाम :

(अनूप यादव)

पुत्र स्व. श्री छोटेलाल यादव,
चौडे के हनुमान मंदिर के पास,
हनुमान नगर, चार शहर का नाका,
हजीरा ग्वालियर.

(252-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर नाम माया यादव था तथा इसी नाम से पुकारा जाता था। मेरे समस्त दस्तावेजों में गुड़ी यादव अंकित है।

अतः भविष्य में मुझे गुड़ी यादव पति श्री राजेन्द्र सिंह यादव के नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(माया यादव)

नया नाम :

(गुड़ी यादव)

पति श्री राजेन्द्र सिंह यादव
निवासी-कमेटी हॉल के पास आमखो
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(253-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, Dr. Sweta Phuskele D/o Shri Vijay Kumar Phuskele, born on 24/04/1978 R/o Flat No. 101, D.K. Surabhi Appartment, Gomti colony, Nehru Nagar, Bhopal 462003, employed as Homoeopathic Medical officer, at Govt. Homoeopathic Medical College, Bhopal have changed my name to Dr. Sweta Jain W/o Shri Mukesh Jain, by affidavit sworn before the Notary public Bhopal on 14/05/2017.

Hence forth, I shall be known as Dr. Sweta Jain for all purposes.

Old Name:

(SWETA PHUSKELE)

New Name :

(SWETA JAIN)

(255-B.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, अरूणकांत अग्रवाल पिता स्व. रतनलाल जी अग्रवाल उम्र-70 वर्ष, निवासी-127, नेपियर टाउन, जबलपुर (म. प्र.) आज दिनांक जबलपुर में सूचित करता हूं कि मेरे पास ACC Co. Ltd. के 460, शैयर्स जिनका सर्टिफिकेट नं. 257529 से 257538 है।

जिन पर मेरा नाम अरूणकांत टीबड़ेवाला दर्ज है जो कि गलत है। मेरा सही नाम अरूणकांत अग्रवाल है।

अतः इस आशय से यह आम सूचना जबलपुर में प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम अरूणकांत टीबड़ेवाला के स्थान पर सही नाम अरूणकांत अग्रवाल दर्ज किया जावे।

पुराना नाम :

(अरूणकांत टीबड़ेवाला)

नया नाम :

(अरूणकांत अग्रवाल)

(258-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, मधुसूदन अग्रवाल पिता स्व. रतनलाल जी अग्रवाल उम्र-72 वर्ष, निवासी-127, नेपियर टाउन, जबलपुर (म. प्र.) आज दिनांक जबलपुर में सूचित करता हूँ कि मेरे पास ACC Co. Ltd. के 460, शैयर्स जिनका सर्टिफिकेट नं. 257529 से 257538 है।

जिन पर मेरा नाम मधुसूदन टीबड़ेवाला दर्ज है जो कि गलत है। मेरा सही नाम मधुसूदन अग्रवाल है।

अतः इस आशय से यह आम सूचना जबलपुर में प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम मधुसूदन टीबड़ेवाला के स्थान पर सही नाम मधुसूदन अग्रवाल दर्ज किया जावे।

पुराना नाम :

(मधुसूदन टीबड़ेवाला)

नया नाम :

(मधुसूदन अग्रवाल)

(259-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा पुराना नाम इन्द्र मीरचंदानी के स्थान पर मेरा सही नाम इन्द्र कुमार मीरचंदानी जाना व किया जाये।

पुराना नाम :

(इन्द्र मीरचंदानी)

नया नाम :

(इन्द्र कुमार मीरचंदानी)

निवासी-ए-5, लेक सिटी एन्क्लेव,
फाटक रोड, बैरागढ़ भोपाल (म. प्र.).

(261-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स यश कंस्ट्रक्शन स्थित 84/9 बी, साकेत नगर भोपाल है। जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/00516/12, दिनांक 14 मार्च, 2012 है। जिसमें दिनांक 15 मई, 2016 को भागीदार श्री राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री बी. एस. चौहान, निवासी नेहरू नगर, भोपाल का निधन हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 10 अगस्त, 2016 को भागीदार श्री विजय सिंह तोमर पुत्र श्री रतन सिंह तोमर, निवासी साकेत नगर, भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। एवं इसी दिनांक 10 अगस्त, 2016 को शशि भूषण सिंह तोमर पुत्र श्री पी. एस. तोमर, निवासी 35 इमरल्ड पार्क सिटी, भोपाल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

मै. यश कंस्ट्रक्शन,
नरेन्द्र सिंह राजपूत,,
(भागीदार).

84/9 बी, साकेत नगर, भोपाल.

(240-बी.)

आम सूचना

मैं, विजय कुमार बोरा/आत्मज श्री एम. आर. बोरा निवासी-3, ईदगाह हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश का होकर सर्व-साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित करता हूँ कि, एक पार्टनरशिप के माध्यम से बोरा ब्रदर्स इण्डस्ट्रीज, इन्डस्ट्री एरिया गोविन्दपुरा भोपाल का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं सोसायटी, भोपाल से कराया गया था जिसका फर्म का अनुक्रमांक-1619/70-71 रजिस्ट्रेशन दिनांक 30 दिसम्बर, 1970 है, जिसमें श्रीमती मानकबाई बोरा पल्लि श्री मूलचन्द बोरा इस फर्म की एक पार्टनर थी जिनका स्वर्गवास दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 को हो गया था। उक्त फर्म में बहैसियत पार्टनर श्री दीपक बोरा आ. श्री एम. आर. बोरा, निवासी-3, ईदगाह हिल्स भोपाल, दिनांक 01 नवम्बर, 1978 से चले आ रहे थे। श्रीमती मानक बाई बोरा के मृत्यु के पश्चात् से उपरोक्त फर्म का संचालन श्री विजय कुमार बोरा एवं श्री दीपक बोरा दोनों आ. श्री एम. आर. बोरा द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 किया जा रहा था। मगर दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को उक्त फर्म में नये पार्टनर के रूप में श्रीमती राजश्री बोरा पल्लि श्री विजय कुमार बोरा, निवासी-3 ईदगाह हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश सम्मिलित हो गई और उक्त फर्म

से दीपक बोरा आ. एम. आर बोरा, दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को अपना हिस्सा लेकर पृथक् हो गये हैं अब उक्त फर्म में दो ही पार्टनर श्री विजय कुमार बोरा एवं श्रीमती राजश्री बोरा थे जिन्होंने उपरोक्त फर्म को दिनांक 18 जून, 2017 को भंग कर दिया है और नया डिजोल्यूसन डीड भी दिनांक 18 जून, 2017 को निष्पादित कर दिया है। उक्त फर्म के भंग होने की सूचना हेतु यह आम सूचना प्रकाशित किया जा रहा है।

विजय कुमार बोरा

आत्मज श्री एम. आर. बोरा,
(भागीदार)।

निवासी-3, ईदगाह हिल्स, भोपाल,

(241-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स होटल रॉयल इन स्थित मिलेनियम टॉवर, सिटी सेन्टर, मेन रोड, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00172/09, दिनांक 11 फरवरी, 2009 है। जिसमें दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को भागीदार श्री रमेश चन्द गुप्ता पुत्र स्व. श्री भैरव प्रसाद गुप्ता, निवासी गौशाला रोड, अशोकनगर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से आर्यन गुप्ता पुत्र श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी 79, नेहरू कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-मैसर्स होटल रॉयल इन,

अजय कुमार गुप्ता,
ग्वालियर।

(242-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स हर्षित कंस्ट्रक्शन कम्पनी, 151, आदित्य नगर, सी. पी. कॉलोनी, मुरार ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 07 जून, 2016 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 2 श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री उमा चरण शर्मा आयु 63 वर्ष, निवासी 151, आदित्य नगर सी. पी. कॉलोनी, मुरार ग्वालियर तथा पक्षकार क्रमांक 3 श्री अरविंद तिवारी पुत्र श्री राम प्रकाश तिवारी, आयु 45 वर्ष, निवासी 589, सुरेश नगर थाटीपुर ग्वालियर फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है। भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताविक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार हैं।

मैसर्स हर्षित कंस्ट्रक्शन कम्पनी,

सुनील कुमार शर्मा,
(पार्टनर)।

(231-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स इन्ड्रप्रस्थ कान्स्ट्रक्शन कंपनी फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 46, वर्ष 2005-2006, पता-2/18/556, नेहरू नगर, जिला रीवा मध्यप्रदेश यह कि फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुये दिनांक 06 जुलाई, 2017 से फर्म के पार्टनर श्री क्षितिज सिंह पिता श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी 2/18/556, नेहरू नगर, जिला रीवा फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं जिनका फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा। अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो, तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें।

द्वारा फर्म-

मैसर्स इन्ड्रप्रस्थ कान्स्ट्र. कंपनी,
सुरेन्द्र सिंह,
(पार्टनर)।

2/18/556, नेहरू नगर, जिला रीवा (म. प्र.)।

(243-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सदगुरु साई कान्स्ट्रक्शन कंपनी फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 05/22/09/00030/11, पता ग्राम हरदी, पो. नवागाँव, तहसील मनगाँव, जिला रीवा मध्यप्रदेश यह कि फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुये दिनांक 30 मई, 2017 से फर्म के पार्टनर श्री एस. एस. सिंह पिता श्री जानकीशरण सिंह, निवासी ग्राम हरदी, पो. नवागाँव, तहसील मनगाँव, जिला रीवा फर्म की भागीदारी

से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं जिनका फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा एवं फर्म के नये पार्टनर के रूप में श्री बालेन्द्रशेखर श्रीवास्तव पिता श्री कामता प्रसाद श्रीवास्तव पता-44/97, मुर्गी फार्म के पीछे, तोपखाना, जिला रीवा दिनांक 30 मई, 2017 से फर्म में शामिल हो गये हैं। अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो, तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें।

द्वारा फर्म-

मेसर्स सद्गरू साईं कास्ट्र कम्पनी,

उदयप्रकाश सिंह,

(पार्टनर)।

ग्राम हरदी, पो. नवागांव, तहसील मनगढ़ा,

जिला रीवा (म. प्र.)।

(244-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार मेसर्स एक्सीलेस डेवलपर्स 147, खातीवाला टैक इन्डौर मध्यप्रदेश एक पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म है जिसके पार्टनर 1. श्री दर्पण जेठवानी पिता श्री सुन्दरलाल जेठवानी, 2. श्री अमित चावला पिता श्री अर्जुनदास चावला है उपरोक्त फर्म में श्री दर्पण जेठवानी का 25 प्रतिशत एवम् श्री अमित चावला का 75 प्रतिशत का शेयर है एवम् उपरोक्त फर्म के पार्टनरों के मध्य आपसी सहमति से श्री अमित चावला आज दिनांक को उपरोक्त फर्म से रिटायर हो गये हैं उनके स्थान पर श्री गोपालसिंह कुशवाह पिता श्री तेजपालजी कुशवाह उपरोक्त फर्म के नवीन पार्टनर हो गये हैं इस प्रकार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक से उपरोक्त फर्म में श्री दर्पण जेठवानी 25 प्रतिशत एवम् श्री गोपालसिंह कुशवाह 75 प्रतिशत के भागीदार अर्थात् पार्टनर हैं एवम् आज दिनांक के पश्चात् उपरोक्त फर्म या उसकी सम्पत्ति आदि से श्री अमित चावला को कोई हक्क अधिकार आदि नहीं रहेगा एवम् आज दिनांक से फर्म का नवीन पता डब्ल्यू. बी.-56, योजना क्रमांक 94, बाम्बे हॉस्पीटल सर्विस रोड, इन्डौर रहेगा। सो विदित होवें।

मनोज शर्मा,

(एड्व्होकेट)।

(245-बी.)

PUBLIC NOTICE

U/S 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that in the firm of M/s Saiyyed Akhtar Ali, 16/10 Rehmat Nagar, Near Darshan Talkies, Ratlam, which was constituted *vide* partnership deed executed on 01-04-2003 and the initial partners were Shri Saiyyed Akhtar Ali S/o Wahid Ali, Shri Saiyyed Mohabbat Ali S/o Wahid Ali, Shri Saiyyed Afsar Ali S/o Wahid Ali and Smt. Rehamat Bee W/o Wahid Ali and firm was registered with the registrar of firm *vide* registration no. 21, dated 02-09-2003.

In the firm subsequently following changes have occurred on 01-04-2008 the following partners has been retired Shri Saiyyed Mohabbat ali S/o Wahid Ali and Shri Saiyyed Afsar Ali S/o Wahid Ali and remaining partner Shri Saiyyed Akhtar Ali S/o Wahid Ali and Smt. Rehamat Bee W/o Wahid Ali continue in partnership by partnership deed dated 02-04-2008.

Further, *w.e.f.* 18-10-2015 again the firm reconstituted *vide* partnership deed dated 18-10-2015 Shri Mohabbat Ali S/o Wahid Ali and Shri Afsar Ali S/o Wahid Ali have joined the firm as partners. Thus Shri Saiyyed Akhtar Ali S/o Wahid Ali, Smt. Rehamat Bee W/o Wahid Ali, Shri Mohabbat Ali S/o Wahid Ali and Shri Afsar Ali S/o Wahid Ali were the four partner in the firm and the address of firm was change and it was at Survey No. 186/1, Old bye Pass Road, Wahid Nagar, Opp. Ahinsa Gram, Ratlam (M.P.).

Further *w.e.f.* 18-04-2017 again the firm reconstituted *vide* partnership deed dated 18-04-2017 due to death of Smt. Rehamat bee W/o Wahid Ali and remaining partner Shri Saiyyed Akhtar Ali S/o wahid Ali Shri Mohabbat Ali S/o Wahid Ali and Shri Afsar Ali S/o Wahid Ali agree to take Shri Saiyyed Aveshali S/o Akhtarali Saiyyed as a partner in the running firm *w. e. f.* 18-04-2017.

Now Shri Saiyyed Akhtar Ali S/o Wahid Ali, Shri Mohabbat Ali S/o Wahid Ali and Shri Afsar Ali S/o Wahid Ali and Shri Saiyyed Aveshali S/o Akhtar Ali Saiyyed are the running partners in the firm.

For- M/s Saiyyed Akhtar Ali,
SAIYYEDAKHTARALI,
(Partner).

Survey no. 186/1, Old Bypass Road,
Wahid Nagar, Opp. Ahinsa Gram,
Ratlam (M.P.)-

(246-B.)

सार्वजनिक सूचना

इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि फर्म मै. गुरुकृष्ण कोल्ड स्टोरेज बेयर हाउस एवं लाजिस्टिक जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 159/13, सन् 2013-14, दिनांक 06-04-2013 है। इस भागीदारी फर्म में निम्नलिखित बदलाव दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 से किया है।

श्रीमती शैलेश गुप्ता पति श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पार्टनर मै. गुरुकृष्ण कोल्ड स्टोरेज बेयर हाउस एवं लाजिस्टिक ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 से अपनी पार्टनरशिप से स्वेच्छा पूर्वक रिटायरमेंट ले लिया है। दिनांक 01 नवम्बर, 2016 से इनका इस फर्म से कोई लेना-देना शेष नहीं रहेगा।

द्वारा-मै. गुरुकृष्ण कोल्ड स्टोरेज बेयर हाउस एवं लाजिस्टिक जोरा,
रवि केशरी,
(Partner)

C/o भारतीय लॉज ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.).

(262-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि., टी. टी. नगर, भोपाल
प्रारूप-चार

प्र. क्र 05/बी-113/2016-17.

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम, 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

जैसा कि (खण्डेलवाल वैश्य परमार्थिक ट्रस्ट) एच-99, शास्त्री नगर, जवाहर चौक, भोपाल ट्रस्टी श्री हरीश खण्डेलवाल न्यासी एवं अध्यक्ष ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक जुलाई, 2017 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	खण्डेलवाल वैश्य परमार्थिक ट्रस्ट
अचल संपत्ति	:	निल
चल संपत्ति	:	1,500/-

आज दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

अतुल सिंह,

रजिस्ट्रार,

(1860)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 13 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/806.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरी, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा, संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरी, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना” पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/70, विदिशा, दिनांक 13 जनवरी, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरी, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरी, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./1013, दिनांक 30 जून, 2015 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री एम. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर जिला विदिशा को धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1854)

विदिशा, दिनांक 14 जून, 2017

क्र./परि./2017/813.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1994/309, दिनांक 07 फरवरी, 1994 एवं संशोधित आदेश क्र./परि./2016/105, दिनांक 05 फरवरी, 2016 से जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सिरोंज, जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./354, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेश्वक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सिरोंज, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./354, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक।

(1854-C)

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 16 जून, 2017

क्र./परि./2017/1594.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित देवपुरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 677, दिनांक 09 अगस्त, 2016 के परिसमापक श्री हर्षबर्धन, उप-अंकेश्वक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का

प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./507, दिनांक 21 फरवरी, 2017 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निर्मांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है, नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था के पुनः परिसमापन की कार्यवाही कर दी जावेगी—

1.	श्रीमती रामकली यादव	अध्यक्ष
2.	श्रीमती लीला यादव	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती गीता यादव	सदस्य
4.	श्रीमती कला बाई	सदस्य
5.	श्रीमती कस्तूरी बाई	सदस्य
6.	श्रीमती बैजंती बाई	सदस्य
7.	श्रीमती रुक्मणी बाई	सदस्य
8.	श्री हर्षवर्धन, उप-अंकेशक	सदस्य

(1855)

शिवपुरी, दिनांक 16 जून, 2017

क्र./परि./2017/1595.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, करही, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 690, दिनांक 12 अगस्त, 2016 के परिसमापक श्री हर्षवर्धन, उप-अंकेशक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./506, दिनांक 21 फरवरी, 2017 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निर्मांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है, नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था के पुनः परिसमापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

1.	श्रीमती सुमन मिश्रा	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सुमित्र सोनी	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती पारवती दुबे	सदस्य
4.	श्रीमती सुनीता रावत	सदस्य
5.	श्रीमती जामवती जोशी	सदस्य
6.	श्रीमती शारदा खंगार	सदस्य
7.	श्रीमती हेमलता मिश्रा	सदस्य
8.	श्री हर्षवर्धन, उप-अंकेशक	सदस्य

(1855-A)

शिवपुरी, दिनांक 23 जून, 2017

क्र./परि./2017/1650.—निर्मांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	सतनाम बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, बामोरकला।	196/06-10-1988	1000/16-05-2016	श्री छ्वी. के. जैन, सहकारी निरीक्षक।

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण

कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्ध-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 23 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1855-B)

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार।

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेशक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, टोरियाखुर्द, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी।	720/20-09-2016	1232/04-05-2017

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 16 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1856)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बगेधरी अब्बल, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी।	698/29-08-2016	1231/04-05-2017

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 16 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1856-A)

हर्षवर्धन,

परिसमापक एवं उप-अंकेशक।

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत]

क्र./परि./ओसीजी एस./2017/329.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./305, नीमच, दिनांक 12 जून, 2017 के द्वारा परिसमापित

प्राथमिक महाकाल प्रा. उप. सहकारी भंडार मर्या., नीमच, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 15 मई, 2007 को परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. पी. कुमावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था। सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के अस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रर, सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित प्राथमिक महाकाल प्रा. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 15 मई, 2007 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए नियमित निकाय को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है।

के. एस. सौलंकी,
सहायक रजिस्ट्रर

(1857)

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रर, सहकारी सोसायटीज, जिला-सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/301, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा लोक मान्य तिलक प्राथ. सहकारी उप. भंडार मर्या., वार्ड क्र. 21 उत्तरी सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत लोक मान्य तिलक प्राथ. सहकारी उप. भंडार मर्या., वार्ड क्र. 21, उत्तरी सतना, पंजीयन क्र. 168, दिनांक 10 जनवरी, 1995 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर. के. श्रीवास्तव, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/302, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा सतना लाईम स्टोन कर्म. उप. भंडार मर्या., सायर्डिंग सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत सतना लाईम स्टोन कर्म. उप. भंडार मर्या., सायर्डिंग सतना, पंजीयन क्र. 443, दिनांक 11 नवम्बर, 1963 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर. के. श्रीवास्तव, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/303, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा प्राथ. सहकारी उप. भंडार मर्या., पतेरी सतना जिसे आगे केवल

संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत प्राथ. भंडार मर्या, पतेरी सतना, पंजीयन क्र. 150, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर. के. श्रीवास्तव, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/686.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/321, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा स्टेशनरी प्रिंटिंग सप्लाई सहकारी समिति मर्या., सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत स्टेशनरी प्रिंटिंग सप्लाई सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्र. 291, दिनांक 31 जुलाई, 1998 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत आर. के. श्रीवास्तव, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/318, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा संस्कृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., अहरी टोला सतना, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत संस्कृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., अहरी टोला सतना, क्र. 552, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर. के. गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/316, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा माँ दुर्गा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पटेरी सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित

बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत माँ दुर्गा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पटेरी सतना, पंजीयन क्र. 513, दिनांक 12 जनवरी, 2005 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर. के. गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन भुद्वा से जारी किया गया है।

(1858-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/306, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा माँ जालपा मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., महादेवा सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत मां जालपा मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., महादेवा सतना, पंजीयन क्र. 218, दिनांक 24 नवम्बर, 1995 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर. के. गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि/17/314, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा कामायनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बठियाकलां जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत कामायनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बठियाकलां, पंजीयन क्र. 223, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर. के. गुप्ता., सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियाँ एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यावाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि/17/315, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा ईंधन व्यवसायिक सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 38 सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत इंधन व्यवसायिक सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 38 सतना, पंजीयन क्र. 517, दिनांक 23 अगस्त, 2005 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर. के. गुप्ता, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/319, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा किसान रसा. खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., माधवगढ़ जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत किसान रसा. खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., माधवगढ़, पंजीयन क्र. 567, दिनांक 27 अगस्त, 2009 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री अश्वनी कुमार सिंह, उप अंकेश्वक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक को तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/308, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा रजिया महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., जवाहरनगर सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत रजिया महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., जवाहरनगर सतना, पंजीयन क्र. 493, दिनांक 28 जनवरी, 2003 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री अश्वनी कुमार सिंह, उप-अंके. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/307, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा महिला गृह पापड़, बड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कामताटोला सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत महिला गृह पापड़, बड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कामताटोला सतना, पंजीयन क्र. 98, दिनांक 22 जून, 1993 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री अश्वनी कुमार सिंह, उप-अंकेश्वक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है

है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/300., दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा प्राथ. सहकारी उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., जैतवारा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत प्राथ. सहकारी उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., जैतवारा, पंजीयन क्र. 68, दिनांक 24 फरवरी, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री अश्वनी कुमार सिंह, उप-अंके. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि/17/315., दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या, नागौद जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., नागौद, पंजीयन क्र. 225, दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रच्छ प्रसाद, सहकारी निरी, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि/17/320., दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा पशुकल्याण। पशु विकास सहकारी समिति मर्या., सिंहपुर जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत पशुकल्याण, पशु विकास सहकारी समिति मर्या., सिंहपुर, पंजीयन क्र. 564, दिनांक 04 जुलाई, 2009 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री रचई प्रसाद, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/309., दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा सतगुरु हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., कठहा, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत सतगुरु हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., कठहा, पंजीयन क्र. 432, दिनांक 15 नवम्बर, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एन. पी. शर्मा, व. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन नियस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/313, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मलगांव जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मलगांव पंजीयन क्र....., दिनांक..... को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री के. एल. कमरानी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन नियस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/312., दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा माँ खेरमाई महिला बहु, सहकारी समिति मर्या., गुढवा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत माँ खेरमाई महिला बहु, सहकारी समिति मर्या., गुढवा पंजीयन क्र. 476, दिनांक 12 मार्च, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन नियस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/311., दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा पद्मावती महिला बहु, सहकारी समिति मर्या.बरागडौली, जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये

जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत पदमावती महिला बहु सहकारी समिति मर्या. बरागड़ौली पंजीयन क्र....., दिनांक.....को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/304., दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा कामदण्डिरि प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., चित्रकूट जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत कामदण्डिरि प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., चित्रकूट पंजीयन क्र. 185, दिनांक 14 मार्च, 1995 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./17/310, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा ग्रामोदय हाथ. बुनकर सहकारी समिति मर्या., चित्रकूट जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत ग्रामोदय हाथ. बुनकर सहकारी समिति मर्या., चित्रकूट, पंजीयन क्र. 812, दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-T)

नरेश सिंह,
उप-रजिस्ट्रार



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई, 2017-श्रावण 6, शके 1939

भाग 3 (2)

सार्विकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 2017

1. मौसम एवं वर्षा-राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के जिला टीकमगढ़ व सागर को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, बलदेवगढ़, पलेठा, ओरछा (टीकमगढ़) बीना, खुरई, बंडा, सागर, रेहली, गढ़ाकोटा, केसली, मालथोन, शाहगढ़ (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील देवरी, राहतगढ़ (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुलाई.- जिला ग्वालियर, पन्ना, सागर, दमोह में जुलाई एवं बालाघाट में फसल धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला ग्वालियर, सागर, दमोह में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.- जिला सागर में फसल मसूर, चना, कटनी व सिवनी में मसूर तुअर, बैतूल में गेहूँ, चना, मटर दमोह, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, इन्दौर, खरगौन, भोपाल व सीहोर में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, बड़वानी एवं सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर	3. अन्य असामिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथीं, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रैन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) उड्ड, मक्का, गेहूं, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				7. .. 8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्द्री	..				
5. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूं, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. गुना	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, राई-सरसों, मटर, गेहूं समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. निवाड़ी	2.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	2.0				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	5.0				
5. बल्देवगढ़	2.0				
6. पलेरा	1.0				
7. ओरछा	2.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लव कुश नगर	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड्ड, मूँग, सोयाबीन तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	जुताई एवं बोनी व मसूर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बीना	4.2				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खुरई	1.2				
3. बण्डा	10.1				
4. सागर	12.2				
5. रेहली	17.4				
6. देवरी	18.0				
7. गढ़ाकोटा	9.4				
8. राहतगढ़	19.3				
9. केसली	15.0				
10. मालथोन	6.0				
11. शाहगढ़	7.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा जौ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जबेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर				
15. *जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. त्यौथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरकच्छिलयान				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, चना, मसूर, अलसी, राई, गेहूँ जौ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. गोहपारु 4. जैसिहनगर 5. बुढार 6. जैतपुर				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मटर, राई-सरसों, गेहूँ अधिक राहर, अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरगों 2. देवसर 3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुधड़का 9. संजीत 10. कयामपुर	..				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	..				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलतोदा 6. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिवपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नोद 6. खातेगांव				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, तुअर कपास अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कटटीबाड़ा 4. सोडवा 5. च. शेखर आ. नगर 6. उदयगढ़				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवरे 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, धान, बाजरा, कपास मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना अलसी, राई-सरसों कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगांव 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. श्यामपुर	..				
3. आष्टा	..				
4. इच्छावर	..				
5. नसरुल्लागंज	..				
6. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, तिवड़ा, मसूर, मटर अलसी, राई-सरसों, मूँग धनिया. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ चना, मटर, मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ऐंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, मटर, मसूर, अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, अधिक चना, मटर, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डम	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. मसूर, तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ी	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. *जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गाडवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..	4.			
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
48. *जिला डिणडोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिणडोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..				
2. जुनारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. तामिया	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. चाँद	..				
10. बिछुआ	..				
11. हरई	..				
12. उमरेठ	..				
13. मोहछेड़ा	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. तुअर, मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूं, जौ, राजगिर, चना मटर, मसूर, लाख(तिवड़ा) उड़द, मूँग, अरंडी, गई- सरसों, अलसी, कुसुम सूरजमुखी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादेन	..				
4. बरधाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसोर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
51. जिला बालाधाट :	मिलीमीटर	2. फसल धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाधाट	..				
2. लाँजी	..				
3. खैरलांजी	..				
4. बैहर	..				
5. लालबरा	..				
6. वारासिवनी	..				
7. बिरसा	..				
8. कटांगी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. किरनापुर	..				

टीप.-*जिला रीवा, नीमच, रत्लाम, नरसिंहपुर, डिणडोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

(1859)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।